सं० ओ०वि०/एफ०डी०/9-87/9565.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० आटो गलाईड, प्रा० लि०, सैक्टर 6, प्लाट नं० 64, फरीदाबाद के श्रमिक प्रधान/महा सचिव, आटो गलाईड कर्मचारी संघ द्वारा हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्यो क विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या प्रबन्धकारिणी द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 1986 से किया गया लेआफ उचित है? यदि नहीं, तो वह किस राहत के हकदार हैं?

दिनांक 6 मार्च, 1987

सं० ओ०वि०/पानी/37-85/10047.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बजाज इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कुंजपुरा रोड़, करनाल, के श्रमिक श्री महेन्द्र, पुत्र श्री करतारा मार्फत श्री जंग बहादुर यादव, डी० बी०-150, चार चमन, करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथ वि० से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या श्री महेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/पानी/94-85/10054.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० राज स्टील इण्डस्ट्री , जी० टी० रोड़, उचानी (करनाल) के श्रमिक श्री रौनक राम, पुत्र श्री भाम चन्द मार्फत श्री जंग बहादुर यादव, डी० बी० 150, चार चमन, करनाल तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रौनक राम, पुत्र श्री भाम चन्द की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ी है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/पानी/30-85/10061.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सुपर रबड़ इन्टरप्राईजिज, 71/3 माईल स्टोन जी० टी० रोड़, करनाल के श्रमिक श्री हरी लाल, पुत्र श्री हरदेव सिंह मार्फत श्री जंगबहादुर यादव, डी० बी० 150, चार चमन, करनाल तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री हरी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?